

25-03-2026

एकलपीठ

श्री राजेश कुमार दडिया , सदस्य

वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार-बार आवाजें दिलवाई गई, लेकिन उपस्थित नहीं। प्रकरण काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।



(श्री राजेश कुमार दडिया)

सदस्य

राजस्व मण्डल राज. अजमेर